

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत
हुई। तहसीलदार अरथूना की रिपोर्ट पर खातेदार का नाम हीरा पूत्र श्रीका
हीरामात पूत्र श्रीका करने के आदेश दिये जाते हैं।

पर मजमें आम पेश
के स्थान पर

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमान शिविर प्रभासी सुहादेय
बदी, जिला बॉसवाड़ा
"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"
पंचायत समिति अरथूना

आवेष्टा

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर शुरु हुआ आवेष्टा
जारी किया जा कर पत्रावली प्रशासन शुमार कर दारिज्ज
दफतर ही।

उपखण्ड अधिकारी
बदी, जिला बॉसवाड़ा

